

प्रेषक,

रवनीत चीमा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २/ सितम्बर, 2020

विषय- बेसिक शिक्षा परिषद के राजकीयकरण के पश्चात् मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की परिषद में की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें ए०सी०पी०/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

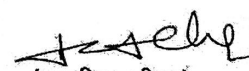
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के पत्रांक-वि.पत्र-10(1)/2177(18)3855 दिनांक 15 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों को ए०सी०पी०/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-872/XXVII(7)न०प्रति०/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2(VIII) में उपबन्धित व्यवस्था के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा परिषद के राजकीयकरण होने के पश्चात् राजकीय हुए मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की परिषद की सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें एस.सी.पी का लाभ प्रदान किया जाना अनुमन्य नहीं है।

3- उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) योजित किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन का उपलब्ध कराये तथा उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर यदि किसी कार्मिक को ए.सी.पी. का अनुमन्य किया गया है, तो संबंधित कार्मिक का वेतन/पेंशन का पुननिर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों के देय वेतन/पेंशन से किया जाय।

भवदीया,


(रवनीत चीमा)
अपर सचिव

संख्या /XXIV-2/20-01(16)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,


(जे.एल. शर्मा)
संयुक्त सचिव